न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 2020/00176

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. जवरीलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी सारणनगर उस्तरां तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री श्यामलाल चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः–14/07/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. 245 रकबा 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि आई हुई है, जिसको आगे दावे में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है। विवादित भूमि वादी को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है अर्थात् वादीगण की खरीदशुदा भूमि नही है। वादी के पिता के पिता के देहान्त होने के बाद वादी का बड़ा भाई अणदाराम ने हमारे पिता के स्थान पर वादी का नाम जवरीराम लिखवा दिया गया जबकि वादी का सही नाम जवरीलाल है, इसलिए जवरीराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम लिखा जाने हेतु वादी ने खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है। यह है कि जवरीराम पुत्र रामाराम, जयरूपराम पुत्र रामाराम व जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता के देहान्त के बाद वादी के बड़े भाई ने घरेलू चलता नाम लिखवा दिया गया जबकि वादी का नाम सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट वेतन प्रमाणपत्र, आई.टी. आर, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है। दिनांक 23.11.2020 को वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी हल्का पटवारी से लेने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम जवरीराम पुत्र रामाराम, जयरूपराम पुत्र रामाराम दर्ज है, जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। अतः राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. [illegible] 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि में [illegible] जवरीराम पुत्र रामाराम व जयरूपराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम [illegible] रामूराम नाम की खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का आदेश फरमान का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जवाबदावा में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. 245 रकबा 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि में वादी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में जवरीराम पुत्र रामाराम व जयरूपराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम नाम की खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादी के वादपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गयी।

वादी के वादपत्र एवं जवाबदावा का अवलोकन करने पर पाया कि तनकीयात की आवश्कता नही है। वादी की ओर से स्वयं वादी तथा सुखाराम पुत्र रामूराम उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी सारणनगर उस्तरां तहसील भोपालगढ़ तथा अणदाराम पुत्र रामूराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी सारणनगर उस्तरां तहसील भोपालगढ़ के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये तथा साक्ष्य वादी गवाह जवरीलाल, सुखाराम, अणदाराम के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ क़ी ओर से सरकारी पैरोकार ने साक्ष्य वादी जिरह एवं साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने का निवेदन किया। अतः साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वादी वकील की बहस सुनी गयी।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वस्तुतः जमाबन्दी संवत् 2077—2080 का अवलोकन किया गया जिसमें राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. 245 रकबा 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट वेतन प्रमाणपत्र, आई.टी.आर, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया। वादी की ओर से वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार एवं वादी के भाई अणदाराम, सुखाराम के पेश साक्ष्य शपथपत्र का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया कि विवादित भूमि वादी को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है अर्थात् वादीगण की खरीदशुदा भूमि नही है। वादी के पिता के पिता के देहान्त होने के बाद वादी का बड़ा भाई अणदाराम ने हमारे पिता के स्थान पर वादी का नाम जवरीराम लिखवा दिया गया जबकि वादी का सही नाम जवरीलाल है, इसलिए जवरीराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम लिखा जाने हेतु वादी ने खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है। यह है कि जवरीराम पुत्र रामाराम, जयरूपराम पुत्र रामाराम व जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता के देहान्त के बाद वादी के बड़े भाई ने घरेलू चलता नाम लिखवा दिया गया जबकि वादी का नाम सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट वेतन प्रमाणपत्र, आई.टी.आर, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र, जवाबदावा के अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन उपरान्त पाया कि जवरीराम पुत्र रामाराम, जयरूपराम पुत्र रामा[illegible]लाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम एक ही व्यक्ति है तथा वादी का नाम सरकारी व गैर सरकारी [illegible]वेजों [illegible] जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर द्वारा जारी [illegible] पत्र, पासपोर्ट वेतन प्रमाणपत्र, आई.टी.आर, परिवार राशन कार्ड, ड्राइविंग [illegible] मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम जवरीलाल पुत्र रामूराम लिखा हुआ है। अतः वादी का [illegible] अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. 245 रकबा 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में जवरीराम पुत्र रामाराम व जयरूपराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 14/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. जवरीलाल पुत्र रामूराम जाति जाट
निवासी सारणनगर उस्तरां
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

1. तहसीलदार भोपालगढ़

मु0न0 :रा0वा0 स0: 2020/00176

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा,
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सारणनगर पटवार हल्का उस्तरां के खसरा नं. 276 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नं. 279/1 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा नं. 288 रकबा 0.7203 हैक्टेयर, खसरा नं. 294 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 294/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नं. 306 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 306/1 रकबा 1.3193 हैक्टेयर, खसरा नं. 406 रकबा 1.4164 हैक्टेयर, खसरा नं. 245 रकबा 18.3403 हैक्टेयर कुल खसरान 09 कुल रकबा 26.2317 हैक्टयर भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में जवरीराम पुत्र रामाराम व जयरूपराम पुत्र रामाराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र रामाराम उर्फ रामूराम नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **14/07/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मिजानः–		

मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुजान		
मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested